न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 09 / 2021 GCMS no 2022/166

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

मेघाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी शिवनगर, मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।	01. ग्राम पंचायत मेहलू जरिये सरपंच 02. प्रहलदाराम पुत्र उदाराम 03. उम्मेदाराम पुत्र चौखाराम 04. पदमाराम पुत्र चौखाराम 05. मानी पत्नी चौखाराम 06. बगताराम पुत्र अचलाराम 07. विरधाराम पुत्र मोटाराम 08. डूंगरराराम पुत्र दुर्गाराम 09. कैलाश पुत्र दुर्गाराम 10. पदमों पत्नी दुर्गाराम 11. अमराराम पुत्र दमाराम 12. गंगाराम पुत्र दमाराम 13. धरमाराम पुत्र सरदारराराम 14. रायचंद पुत्र सरदाराराम 15. मूलाराम पुत्र सरदारराराम 16. अणछी पत्नी सरदारराराम 17. जालाराम पुत्र रामदान 18. पूराराम पुत्र रामदान जातियान जाट निवासी रामनगर मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 20.08.2011 जो ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा पारित किया गया

तारिख दर्ज :05.07.2022

अधिवक्ता

Signature Not Verified

01. श्री [illegible] विश्नोई अधिवक्ता अपीलान्ट

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

02. पैरोकार [illegible] रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :–28.03.2025

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

1. वकील मय अपीलान्ट ने एक अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम की पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 20.08. 2011 जो ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा पारित किया गया कि अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 18 मौजा शिवनगर (मेहलू) में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 256. 12 बीघा का आया हुआ है उसमें अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 2 से 5 का 1 / 4 हिस्सा यानि 1 / 4 हिस्सा में रकबा 64.03 बीघा भूमि बनती है। इस 1 / 4 हिस्सा में अपीलांट का 1 / 3 हिस्सा तथा उत्तरदाता संख्या 2 का 1 / 3 हिस्सा तथा उत्तरदातागण संख्या 3 से 5 (चौखा के वारिशान) का 1 / 3 हिस्सा है। उतरदाता संख्या 2 द्वारा एक हकतर्कनामा दिनांक 28.06.2011 को निष्पादित कर 1 / 4 हिस्सा में से अपना 1 / 3 हिस्सा में से 2 / 3 हिस्सा उतरदातागण संख्या 3 से 5 के पूर्व पुरूष चोखा को तथा 1 / 3 हिस्सा अपीलांट को कर दिया । इस हकतर्कनामा अनुसार अपीलांट की पुरी भूमि में 1 / 4 हिस्सा से रकबा 64.03 बीघा में अपीलांट का 1 / 3 हिस्सा रकबा 21.08 बीघा व उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा हकतर्कनामा अनुसार 28.10 बीघा भूमि बनती है जो पूरी भूमि में 1 / 9 हिस्सा बनता है परन्तु हलका पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 64 में 1 / 2 हिस्सा बता कर अधिनस्थ ग्राम पंचायत मेहलू में पेश कर दिया जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच ने बिना किसी जांच किये, बिना पत्रावली कायम किये और बिना अपीलांट को नोटिस दिये स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलांट का हकतर्कनामा वाला हिस्सा उतरदांतागण संख्या 3 से 5 में विलीन हो गया। इस प्रकार नामान्तरकरण पर दिया गया आदेश काबिल निरस्त के योग्य है। कि अपीलांट व मुतवफी चौखा के वारिशान उतरदातागण संख्या 3 से 5 के हिस्सा में भूमि 35.13 बीघा बनती है। पटवारी हल्का के नामान्तरकरण संख्या 64 मौजा शिवनगर में हिस्सा का गलत इन्द्राज के कारण मौजुदा जमाबन्दी में भी हिस्से गलत दर्ज हो गये है। इन गलत इन्द्राज व नामान्तरकरण में गलत हिस्से दर्ज होने का पूर्व में अपीलांट को कोई ज्ञान नही था ।अभी करीब 05 रोज पूर्व में हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल चाही गई तब हल्का पटवारी ने कार्य अधिकता के कारण नही दी तथा कहा की आनलाईन जमाबंदी कर दी है जहां से नकल हासिल कर लेवे तब दिनांक 18.05.2022 को आनलाईन नकल 'जमाबंदी ली तब जमाबंदी के पठन करवाने पर गलत हिस्से दर्ज होने का ज्ञान हुआ जिस पर कानूनी सलाहकार से नामान्तरकरण संख्या 64 की नकल दिनांक 20.05.2022 को मांगी तो दिनांक 24.5.22 को नकल मिली जिसके पठन से गलत नामान्तरकरण इन्द्राज बाबत ज्ञान हुआ इससे पहले इस नामान्तरकरण बाबत पूर्व में कोई ज्ञान नही था इस प्रकार ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश है। अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र साथ पेश है। कि अन्य उतरदाता सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई किसी प्रकार की सहायता नही चाही गई है। कि अपील पर निर्धारित कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये पांच के साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

2. अपील पेश हुआ दर्ज रजिस्टर्ड कर उतरदातागण को जरिये डाक से तलब किया गया नोटीसो की डाक रसीद प्राप्त हुई रेस्पांडेंट संख्या 2 से 5 ने उपस्थित होकर वकालातनामा मय जवाब पेश कर अपील में वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया तथा अपना हिस्सा गलत इन्द्राज होना जाहिर किया तथा नये सिरे से सही नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया । उतरदाता संख्या 1, 6 से 18 के सम्मन विधिवत तामिली के

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

बावजुद अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तहसीलदार धोरीमन्ना से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जो प्राप्त होने पर सामिल पत्रावली कर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. कि मुख्य बिन्दूओं पर विचार करने से पुर्व व अपील का मेरीट पर निस्तारण से पुर्व धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया जाना आवश्यक है अपीलान्ट ने अपनी अपील में नामान्तरकरण संख्या 64 जो दिनांक 20.08.2011 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील दिनांक 26.05.2022 को पेश की गई अपील पेश करने में 13 वर्ष का विलम्ब है उक्त अपील गणितीय बिन्दू पर पेश की गई है नामान्तरकरण संख्या 64 में प्रहलाद का नाम हटाकर 1/4 हिस्सा दोनो भाईयों के नाम दर्ज कर दिया परन्तु जब ऑनलाईन में हिस्से खोले गए तब उसके भी विपरित खोल दिये गये तथा नामान्तरकरण में भी प्रहलाद का नाम अलग अलग भूमि देते हुए हटा था इसीलिए दोनो का नामान्तरकरण में हिस्सा अलग दर्ज करना था । दोनो के संयुक्त रूप से आराजी सम्मान रखी परन्तु हिस्से खोलते समय इनके हिस्से गलत नामान्तरकरण की वजह से गलत दर्ज हो गये इसीलिए नामान्तरकरण संख्या 64 में मेघाराम का 1/9 हिस्सा व चौखाराम का 5/36 हिस्सा दर्ज करना था जो चोखाराम के पुत्रों के नाम दर्ज होने पर 5/108 हिस्सा दर्ज होता परन्तु अपीलान्ट एक काश्तकार व कम पढ़ा लिखा होने से हिस्सो की गणित समझ नही पाया इसीलिए उसे इस नामान्तरकरण में गणितीय त्रुटि की जानकारी नही हो पाई साथ ही उतरदातागण द्वारा इस सम्बंध में कोई उजर ऐतराज नही किया है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट में भी हिस्सो में गणितीय त्रुटि सहवन से होना बताया है ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुआ विलम्ब माफ किया जाना न्याय संगत है इसीलिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

4. मैंने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में पेश आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 64 का अवलोकन किया गया ।अपीलान्ट द्वारा प्रहलदान पुत्र उदा द्वारा चोखा वल्द उदा को 2/3 हिस्सा व मेघा वल्द उदा को 1/3 हिस्सा का हकतर्कनामा का अवलोकन किया गया । वर्तमान जमाबंदी वर्ष 2059 की जमाबंदी का भी ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया हल्का पटवारी व आरआई द्वारा अपीलान्ट व उतरदाता की उपस्थिति में सहमति से बनाई गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । रिपोर्ट अनुसार मुतवफी भेराराम के चार पुत्र होने से उदाराम का 1/4 हिस्सा बनता है तथा उदाराम के तीन पुत्र होने से अपीलान्ट मेघाराम का पैतृक रूप से कुल आराजी में 1/12 हिस्सा तथा चौखाराम व प्रहलदाराम का भी इतना ही हिस्सा बनता है परन्तु हल्का पटवारी के समक्ष पेश हकतर्कनामा में प्रहलादराम ने अपने हिस्से में से 2/3 हिस्सा चौखाराम को व 1/3 हिस्सा अपीलान्ट मेघाराम को हकतर्क कर दिया गया यानि कुल आराजी का 1/18 हिस्सा चौखाराम को हकतर्क कर दिया जो चौखाराम के 1/12 हिस्सा पैतृक के साथ जोड़ने पर चौखाराम का 5/36 हिस्सा बनता है तथा अपीलान्ट मेघाराम को 1/2 हिस्सा यानि कुल आराजी का 1/36 हिस्सा हकतर्क करने से मेघाराम का 1/12 हिस्सा पैतृक व 1/36 हिस्सा हकतर्क से प्राप्त होने पर दोनो हिस्सा को जोड़ने पर 1/9 हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार नामान्तरकरण संख्या 64 में कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट के 1/12 की जगह 1/9 हिस्सा तथा चौखाराम के हिस्से में 5/36 हिस्सा दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

जाना न्यायोचित है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट में उक्त त्रुटि सहवन वश होना बताया है इसीलिए ऐसी त्रुटि को दुरस्त करना विधि सम्मत है । इसीलिए नामान्तरकरण संख्या 64 विधि विरूद्ध होने से अपास्त कर शेष खाता बदस्तुर रखते हुए अपीलान्ट मेघाराम का हिस्सा 1/9 हिस्सा तथा चोखाराम का 5/36 हिस्सा दर्ज करते हुए पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किया जाना विधि सम्मत है

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभीमत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम शिवनगर (मेहलू) में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 256.12 बीघा क्षेत्रफल 41.5126 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.08.2011 को पारित नामान्तरकरण संख्या 64 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को अपीलान्ट मेघाराम का हिस्सा 1/9 व उतरदाता 3 से 5 का संयुक्त रूप से 5/36 हिस्सा यानि प्रत्येक का 5/108 – 5/108 हिस्सा दर्ज करते हुए व शेष खाता बदस्तुर रखते हुए पुनः पारित करने हेतु आदेशित किया जाना उचित व विधि संगत होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 20.08.2011 जो ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा पारित किया के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम ग्राम शिवनगर (मेहलू) में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 256.12 बीघा क्षेत्रफल 41.5126 हेक्टेयर किस्म बा. सोयम में उतरदाता संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.08.2011 को पारित नामान्तरकरण संख्या 64 को अपास्त कर तहसीलदार धोरीमन्ना को अपीलान्ट मेघाराम का हिस्सा 1/9 व उतरदाता 3 से 5 का संयुक्त रूप से 5/36 हिस्सा यानि प्रत्येक का 5/108 – 5/108 हिस्सा दर्ज करते हुए व शेष खाता बदस्तुर रखते हुए पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर पारित करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

28/3/2025

(भागीरथराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

28/3/2025

(भागीरथराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना